भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-988

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया

† 988. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री राजमोहन उन्नीथन:

श्री गौरव गोगोई:

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूजीसी विनियम, 2025 के मसौदे में कुलपतियों (वीसी) की चयन प्रक्रिया में राज्य सरकारों को उनकी भूमिका से वंचित करने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का औचित्य क्या है;

(ख) संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले और उच्चतर शिक्षा में राज्य की स्वायत्तता को कम करने वाले मसौदा विनियमों के बारे में तमिलनाडु और केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

(ग) क्या सरकार ने कुलाधिपतियों (सामान्यतः राज्यपालों) को कुलपतियों के चयन में एकतरफा प्राधिकार प्रदान करने के निहितार्थों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की संभावना पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लोक प्रशासन, लोक नीति या उद्योग की पृष्ठभूमि वाले गैर-अकादमिक व्यक्तियों को कुलपति की भूमिका के लिए पात्र बनाने का औचित्य क्या है तथा ऐसी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हों न कि राजनीतिक संबद्धता के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं; और

(ङ.) क्या सरकार का मसौदा विनियमों में संशोधन करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संवैधानिक संघवाद को बनाए रखें और विश्वविद्यालय प्रशासन में स्वायत्तता को बढ़ावा दें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में कई परिवर्तनकारी सुधारों की सिफारिश की गई है, जिन्हें विनियमों में शामिल करने की आवश्यकता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों

और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 को संशोधित करने का प्रमुख कारण था। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अग्रणी पदों के लिए एनईपी 2020 में जिन गुणों की कल्पना की गई है, वे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने जटिल परिस्थितियों को प्रबंधित करने की क्षमताओं के साथ-साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अग्रणी संवैधानिक मूल्यों और संस्था के समग्र दृष्टिकोण के साथ-साथ एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, टीम वर्क में विश्वास, बहुलवाद, विविध लोगों के साथ काम करने की क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी विशेषताओं के साथ मजबूत अनुकूलन का प्रदर्शन करेंगे। इसे यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय) विनियम, 2025 के मसौदे में अन्य बातों के अलावा, कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया है।

यूजीसी को विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए विनियम बनाने का अधिकार है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उपधारा (I) के खंड (ङ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियमों को अधिसूचित करता है। यूजीसी विनियम, 2025 का मसौदा राज्य विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता और समावेशी विकास प्रदान करता है। मसौदा विनियमन शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों को अधिक शक्ति प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों की चयन समितियां अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) के रूप में ज्ञात निश्चित संख्यात्मक स्कोर के बजाय बाहरी विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट के आधार पर शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता, प्रकाशकों की प्रतिष्ठा आदि पर निर्णय लेंगी। मसौदा विनियमन में नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड को सरल और व्यापक बनाया गया है। यह राज्य सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।

इन विनियमों में प्रस्तावित खोज एवं चयन समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से केवल एक को कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा तथा अन्य दो को स्वतंत्र सांविधिक निकायों जैसे यूजीसी और विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।

इन मसौदा विनियमों को फीडबैक, सुझाव और व्यापक परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। विभिन्न हितधारकों से विभिन्न सुझाव, टिप्पणियाँ और फीडबैक प्राप्त हुए हैं। प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा ताकि विनियमों में उपयुक्त सुझावों को शामिल किया जा सके।

*****